

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / ३१९९ / २०२३

दिनांक : २६.१०.२०२३

श्री सुरेन्द्र खरे (RJ00387), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005 क्रम—01, श्रीगंगानगर को दिनांक १६.११.२०२३ से १८.११.२०२३ तक ०३ दिनों का उपायित अवकाश दिनांक १०.११.२०२३ से १५.११.२०२३ एवं १९.११.२०२३ के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री खरे की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005 क्रम—02, श्रीगंगानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005 क्रम—01, श्रीगंगानगर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

३१९९/२०२३
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
२५.१०.२३

क्रमांक:—स्था.बी.२(४) / १८ / २००२ / ६९९३

दिनांक २६.१०.२०२३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005 क्रम—01, श्रीगंगानगर को उनके पत्रांक ४७ दिनांक ०८.०९.२०२३ के सन्दर्भ में।
- श्री सुरेन्द्र खरे (RJ00387), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005 क्रम—01, श्रीगंगानगर।
- विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005 क्रम—02, श्रीगंगानगर।

२६.१०.२०२३
सहायक रजिस्ट्रार